न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

बाघसिंह बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 356 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
09.09.25	प्रार्थी बाघ सिंह पुत्र गोपी सिंह जाति बलाई निवासी ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम रैवासी पटवार हल्का बिंजासी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 90 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि भागसिंह पुत्र गोपीसिंह दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। ग्राम रैवासी पटवार हल्का बिंजासी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 111 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि भागू पुत्र गोपी दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्ठि बाघ सिंह पुत्र गोपी सिंह है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, सर्विस रिकॉर्ड व बैंक पास–बुक आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि बाघ सिंह पुत्र गोपी सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि भागसिंह पुत्र गोपीसिंह/भागू पुत्र गोपी के स्थान पर बाघ सिंह पुत्र गोपी सिंह दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1549 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रैवासी पटवार हल्का बिंजासी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 90 व 111 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि भागसिंह पुत्र गोपीसिंह/भागू पुत्र गोपी के स्थान पर बाघ सिंह पुत्र गोपी सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1549 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग होगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:48 IST
Reason: SelfAttested